

प्रारूप-2

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग -1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण:-

- क) उपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण :- अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के वि०खं० चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मल्ली-बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 10.00 कि०मी० लम्बाई हेतु 8.346 हे० आरक्षित/सिविल वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के बनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। :- संलग्न है।
- ग) परियोजना की लागत :- 62.42 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :- अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के वि०खं० चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मल्ली-बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 10.00 कि०मी० लम्बाई हेतु 8.346 हे० आरक्षित/सिविल वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण :- संलग्न है
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :-
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार भूमि का विवरण :- मार्ग निर्माण में 8.346 हे० आरक्षित वन भूमि 5.686 हे० सिविल भूमि 1.085 हे० व नाप भूमि 0.210 हे० प्रयोग की जायेगी।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। :- उक्त निर्माण कार्य से कोई परिवार प्रभावित नहीं होगा
- क) परिवारों की संख्या :- नहीं है।
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या :- नहीं है।
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :- नहीं है।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) :- हाँ
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की :- संलग्न है।

पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक

स्थान उत्तरकाशी।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम

अधिशारी अभियन्ता

मोहर

नेर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
चैन्याली सौड (उत्तरकाशी)

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी
द्वारा भरा जाएगा)

भाग—(सम्बन्धित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम सख्यां.....

परियोजना का विवरण —

अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के वि०खं० चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मल्ली— बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 10.00 कि०मी० लम्बाई हेतु 8.346 हे० आरक्षित/सिविल वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- | | | |
|-------|---|---|
| I) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड। |
| II) | जिला | उत्तरकाशी। |
| III) | वन प्रभाग | वन प्रभाग उत्तरकाशी। |
| IV) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 8.346 हे० कुल भूमि |
| V) | वन की कानूनी स्थिति | आरक्षित वन भूमि 5.686 हे० सिविल सोयम भूमि 1.085 हे० डम्पिंग हेतु 1.575 हे० |
| VI) | हरियाली का घनत्व | |
| VII) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर० एल०— 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए। | संलग्न है |
| VIII) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | भू-क्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| IX) | वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | |
| X) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का वयौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया। अनुबन्धित की जाए) | |
| XI) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। | नहीं |
| XII) | या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो, या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम —2 में प्रस्तावित वनभूमि आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरे साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | नहीं |
| 8 | | 5.686 हे० आरक्षित वन भूमि 1.085 हे० सिविल भूमि व नाप भूमि 0.210 हे० परियोजना के लिए अपरिहार्य/न्यूनतम है। डम्पिंग हेतु —1.575 हे० कुल 8.346 हे० |

- 9 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। नहीं
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा- संलग्न है।
- I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र अपि-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों की संलग्न है।
- II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों का आकार। संलग्न है।
- III) आरोपि की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कर्मान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
- IV) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार। संलग्न है।
- V) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल वन प्रभाग उत्तरकाशी/निर्माण खण्ड लो.नि.वि. चिन्वालीसौड।
- I) जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 801600.00 हैक्टेयर
- II) जिला का वन क्षेत्र 695983.35 हैक्टेयर
- III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 381 मामले तथा 1241.56066 हैक्टेयर
- IV) 1980 से जिला/ प्रभाग से निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि रिक्त
- (ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक 487.50 है0
- V) प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर रिक्त
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 487.50 है0
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। कार्यादायी सरस्थां द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किया जायेगा जनहित में संस्तुति से प्रेषित।


वन वन संरक्षक
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी